"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2013— माघ 24, शक 1934

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-2/2008/25-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :-

अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 7 के कॉलम नंबर (6) में, शब्द "छत्तीसगढ़ शासन, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त/संचालक को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के पश्चात्" के स्थान पर, शब्द "संबंधित जिला कलेक्टर" प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 11-2/2008/25-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2008/25-1, दिनांक 12-2-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

Raipur, the 12 February 2013

NOTIFICATION

No. F. 11-2/2008/25-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Development Department Educational Cadre (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2011, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules :-

In column number (6) of serial number 7 of Schedule-I for the words "After delegation of powers to Commissioner/Director By the Government of Chhattisgarh, Tribal and Scheduled Caste Welfare Department" the words "District Collector concerned" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL CHOUDHARY, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.